बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
BSEIDC
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

पत्रांक– BSEIDC/TECH/289/2019/- 1595 पटना, दिनांक:...28.10.2.2020

प्रेषक,

मुख्य अभियंता
BSEIDC, पटना।

सेवा में,

D.P. Maheswari Construction India Pvt. Ltd.,
AT+P.O.-Maheshwari, P.S.-Sono, Distt.-Jamui,
Bihar.

विषयः– **ग्रुप सं०–CT-21 के तहत बिहार राज्य अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य (एकरारनामा सं०–32 F2 of 2014-15 दिनांक–28.05.2014) को** F2 **एकरारनामा के Clause 3 के प्रावधानों के अंतर्गत Rescind करने के संबंध में।**

प्रसंगः कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल का ज्ञापांक–723/2019 दिनांक–09.12.2019, पत्रांक–686/2019 दिनांक–23.11.2019, पत्रांक–399/2019 दिनांक–25.07.2019, पत्रांक–137/2019 दिनांक–07.03.2019, पत्रांक–06/2019 दिनांक–01.03.2019, पत्रांक–330/2019 दिनांक–28.06.2019, पत्रांक–400/2019 दिनांक–25.07.2019 तथा इस कार्यालय का पत्रांक–BSEIDC/TECH/135/2019-3706 दिनांक–11.07.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में कहना है कि **ग्रुप सं०–CT-21** के तहत बिहार राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य का एकरारनामा (**सं०–32 F2 of 2014-15) दिनांक–28.05.2014** को किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 27.11.2014 (06 माह) थी। कार्य की समाप्ति की तिथि से 05 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी तक आपके द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्रों द्वारा भी आपको कार्य पूर्ण करने हेतु बार–बार निदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक– BSEIDC/TECH/135/2019-3706, दिनांक–11.07.2019 द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण एकरारनामा की सुसंगत कंडिकाओं के तहत विषयक एकरारनामा को आपके Risk & Cost पर विखंडित कर Security Deposit को जब्त करते हुए आपके निबंधन को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 क (ii) के आलोक में काली सूची में दर्ज करने के संबंध में कारण पृच्छा की गई एवं दिनांक–23.07.2019 तक अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया था। जिसके आलोक में आपके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। वर्त्तमान में भी आपके द्वारा लम्बी अवधि से कार्य बंद रखा गया है।

उक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल के पत्रांक–BSEIDC/EE/BAG/723/2019 दिनांक–09.12.2019 द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं कराये जाने के कारण बाध्य होकर एकरारनामा को विखंडित करने की अनुशंसा की गई है।

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं लोकहित/कार्यहित में F2 एकरारनामा के Clause 3 के अंतर्गत Contract Agreement संख्या–32 F2 of 2014-15 दिनांक–28.05.2014 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित (Rescind) कर Performance Security जब्त की जाती है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका– 11 क (ii) के आलोक में अन्य कार्रवाई भी की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह० 28/02/2020

मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः BSEIDC/TECH/289/2019/- 1595 पटना, दिनांकः 28.02.2020

प्रतिलिपिः कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमण्डल, BSEIDC को निदेश दिया जाता है कि संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तिथि निर्धारित कर अंतिम मापी कराकर शेष कार्य का प्राक्कलन एवं परिमाण विपत्र तैयार कर समर्पित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

ह० 28/02/2020

मुख्य अभियंता

ज्ञापांकः BSEIDC/TECH/289/2019/- 1595 पटना, दिनांकः 28.02.2020

प्रतिलिपिः महाप्रबंधक (वित्त)/कार्यपालक अभियंता (मु०)/लेखा पदाधिकारी, BSEIDC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 28/02/2020

मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner